POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 09.07.2021

1-थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा फर्जी कॉल सेन्टर चलाकर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने व लेप्स पॉलिसी को रिन्यू तथा प्री-मैच्योर कर भारी धनराशि देने के नाम पर ठगी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 09 सी.पी.यू., 25 मोबाइल फोन, 11 बेस फोन (सिम वाले) , 11 सिम कार्ड, 01 मोहर, 50 डायरी/नोट पेड/रजिस्टर व पॉलिसी से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज बरामद।

दिनांक 08.07.2021 को वादी श्री संजीव पुत्र श्री वेद कुमार सीनियर मैनेजर फ्रोड कन्ट्रोल, पीएनबी मेट लाईफ इंश्योरेंस, प्लेटिनम टावर सेक्टर 47 सोहना रोड, गुरूग्राम हरियाणा की लिखित तहरीर के आधार अज्ञात 20-30 लड़के/लड़किया नाम पता अज्ञात जो वादी की कम्पनी PNB Metlife india insurance के नाम से सेक्टर -63, नोएडा में एच-150 की पहली मंजिल पर Nimbuzz Solutions फर्जी कॉल सेन्टर खोलकर PNB Metlife india insurance कम्पनी के नाम से धोखाधड़ी कर फर्जी काल सेन्टर चलाने के सम्बन्ध में थाना फेस 3 पर मु0अ0सं0 672/2021 धारा 419/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसमें अति शीघ्र कार्यवाही करते हुये दिनांक 08.07.2021 को थाना फेस 3

नोएडा पुलिस द्वारा फर्जी कॉल सेन्टर चलाकर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने व लैप्स पॉलिसी को रिन्यू तथा प्री-मैच्यूर कर भारी धनराशि देने के नाम पर ठगी करने वाले 02 अभियुक्त 1. शुभम राणा पुत्र पवन सिंह निवासी ग्राम सिवाया, थाना धौलाना, जिला हापुड़ 2. सत्यम पुत्र सन्तोष सिंह राजपूत निवासी ढ़लवाई, थाना जीरादेई, जिला सिवान, बिहार वर्तमान पता म0नं0 92 श्याम पार्क मोहननगर साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद को थाना फेस 3 क्षेत्र के एच 150 सेक्टर 63 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से कॉल सेन्टर में लगे 09 सी.पी.यू. , 25 मोबाइल फोन, 11 बेस फोन (सिम वाले) , 11 सिम कार्ड, 01 मोहर, 50 डायरी/नोट पेड/रजिस्टर व पोलिसी से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज बरामद किये गये है।

अभियक्तों का विवरणः

1.शुभम राणा पुत्र पवन सिंह निवासी ग्राम सिवाया, थाना धौलाना, जिला हापुड़।

2.सत्यम पुत्र सन्तोष सिंह राजपूत निवासी ढ़लवाई थाना जीरादेई जिला सिवान, बिहार वर्तमान पता म0नं0 92 श्याम पार्क, मोहननगर, साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 672/2021 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1.09 सी.पी.यू

2.25 मोबाइल फोन

3.11 बेस फोन (सिम वाले)

4.11 सिम कार्ड

5.01 मोहर

6.50 डायरी/नोट पेड/रजिस्टर व पोलिसी से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज

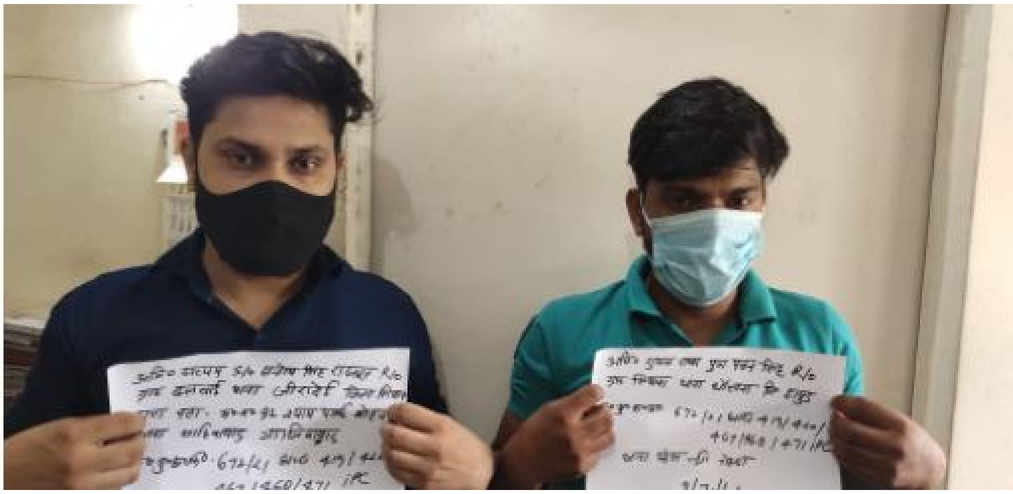

2-एसटीएफ, क्राइम ब्रांच गौतमबुद्धनगर व थाना सेक्टर 49 पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन मे पारदी गैंग के 50-50 हजार रूपये के पुरुस्कार घोषित 02 वांछित अभियुक्तों सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 सफेद स्कूटी, 02 अवैध तमंचे मय कारतूस, 02 अवैध चाकू, 01 कटर , 02 पेचकस व 01 लोहे की रोड बरामद।

अपर पुलिस उपायुक्त क्राइम/मुख्यालय इलामारन जी के निर्देशन में दिनांक 09/07/2021 को एसटीएफ, क्राइम ब्रांच गौतमबुद्धनगर व थाना सेक्टर 49 पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन मे पारदी गैंग के 50-50 हजार रूपये के पुरुस्कार घोषित 02 वांछित अभियुक्तों सहित 04 अभियुक्त 1. सब्बीत पुत्र दीपक उर्फ दीपा निवासी कनैरा चक्की, हड्डी मिल, गोकुल सिह चक, थाना केन्ट, गुना, मध्यप्रदेश 2. गिरीज उर्फ गिरोज पुत्र शेरू निवासी बिला खेड़ी, थाना घरनवदा, जिला गुना मध्यप्रदेश 3. समर उर्फ देवा पुत्र सुरेश निवासी बजरगनगर, चौकी सालाखेड़ी, थाना दो बत्ती रतलाम, मध्यप्रदेश 4 पुनीत चण्डौक पुत्र कुलदीप चण्डौक निवासी म0नं0 210 पॉकेट ई-18, सेक्टर-3, रोहिणी दिल्ली को थाना सेक्टर 49 क्षेत्र के सेक्टर 101 मैट्रो स्टेशन के नीचे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 सफेद स्कूटी, 02 अवैध तमंचे मय कारतूस, 02 अवैध चाकू, 01 कटर लाल रंग, 02 पेचकस व 01 लोहे की रोड बरामद हुए है।

मौके पर पकडे गये दोनो अभियुक्तों सब्बीत पुत्र दीपक उर्फ दीपा व गिरीज उर्फ गिरोज पुत्र शेरू पर थाना सेक्टर 49 पर पंजीकृत 1. मु0अ0सं0 430/2019 धारा 380 भादवि, 2. मु0अ0सं0 865/2019 धारा 457/380 भादवि 3. मु0अ0सं0 874/2019 धारा 457/380/511 भादवि 4. मु0अ0सं0 932/2019 धारा 457/380 भादवि 5. मु0अ0सं0

1060/2019 धारा 307 भादवि में 50-50 हजार रूपये का इनाम घोषित है। अभियुक्त घरों व दुकानों में नकबजनी कर चोरी करते है।

अभियुक्तों का विवरणः

1. सब्बीत पुत्र दीपक उर्फ दीपा निवासी कनैरा चक्की, हड्डी मिल, गोकुल सिह चक, थाना केन्ट, गुना, मध्यप्रदेश।

2. गिरीज उर्फ गिरोज पुत्र शेरू निवासी बिला खेड़ी, थाना घरनवदा, जिला गुना मध्यप्रदेश।

3. समर उर्फ देवा पुत्र सुरेश निवासी बजरगनगर, चौकी सालाखेड़ी, थाना दो बत्ती रतलाम, मध्यप्रदेश।

4 पुनीत चण्डौक पुत्र कुलदीप चण्डौक निवासी म0नं0 210 पॉकेट ई-18 सेक्टर-3 रोहिणी दिल्ली।

आपराधिक इतिहास का विवरणः

1. मु0अ0सं0 430/2019 धारा 380 भादवि बनाम सब्बीत व गिरीज उर्फ गिरोज थाना सेक्टर 49 नोएडा।

2. मु0अ0सं0 865/2019 धारा 457/380 भादवि बनाम सब्बीत व गिरीज उर्फ गिरोज थाना सेक्टर 49 नोएडा।

3. मु0अ0सं0 874/2019 धारा 457/380/511 भादवि बनाम सब्बीत व गिरीज उर्फ गिरोज थाना सेक्टर 49 नोएडा।

4. मु0अ0सं0 932/2019 धारा 457/380 भादवि बनाम सब्बीत व गिरीज उर्फ गिरोज थाना सेक्टर 49 नोएडा।

5. मु0अ0सं0 1060/2019 धारा 307 भादवि बनाम सब्बीत व गिरीज उर्फ गिरोज थाना सेक्टर 49 नोएडा।

6. मु0अ0सं0 764/2021 धारा 307/34 भादवि बनाम सब्बीत गिरीज उर्फ गिरोज, समर उर्फ देवा व पुनीत थाना सेक्टर 49 नोएडा।

7. मु0अ0सं0 765/2021 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 बनाम सब्बीत गिरीज उर्फ गिरोज, समर उर्फ देवा व पुनीत थाना सेक्टर 49 नोएडा।

बरामदगी का विवरणः

1.01 सफेद स्कूटी

2.02 अवैध तमंचे मय कारतूस

3.02 अवैध चाकू

4.02 पेचकस

5.01 लोहे की रोड

6.01 कटर लाल रंग

3-थाना दादरी पुलिस द्वारा 01 शातिर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 08.07.2021 को थाना दादरी पुलिस द्वारा 01 शातिर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त प्रमोद पुत्र सुबे निवासी ग्राम लुहारली, थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के कोट नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है। अभियुक्त थाना दादरी का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर है।

अभियुक्त का विवरणः

प्रमोद पुत्र सुबे निवासी ग्राम लुहारली, थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरणः

1.मु0अ0सं0 671/21 धारा 4/25 A-ACT थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 723/07 धारा 356, 379, 411 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 740/07 धारा 307 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0 742/07 धारा 25 A-ACT थाना कासना गौतमबुद्धनगर।

5.मु0अ0सं0 132/08 धारा 356, 379, 411 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर।

6.मु0अ0सं0 217/08 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना दादरी।

7.मु0अ0सं0 71/12 धारा 392, 411 भादवि थाना जारचा गौतमबुद्धनगर।

8.मु0अ0सं0 101/12 धारा 4/25 A-ACT थाना जारचा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

01 अवैध चाकू

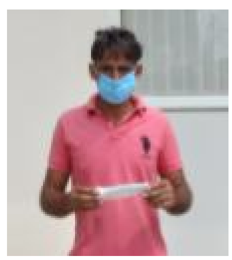

4-थाना सेक्टर 49 नोएडा पुलिस द्वारा घर से चोरी करने वाले नौकर सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के किये गये जेवरात(कीमत लगभग 30 लाख रूपये), चोरी की गई सियाज कार, स्कूटी व कागजात बरामद।

दिनांक 08/07/2021 को थाना सेक्टर 49 नोएडा पुलिस द्वारा घर से चोरी करने वाले नौकर सहित 02 अभियुक्त 1. गयादीन उर्फ गोपाल पुत्र बद्री श्रीनिवास निवासी ग्राम ज्यौराहा थाना बारीगढ जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश वर्तमान पता किडस कैम्पस स्कूल, डी 132 ए,

सेक्टर 47 नोएडा(नौकर) को ग्राम गोहानी, थाना राठ, जनपद हमीरपुर से व उसकी निशादेही पर 2. हीरा पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम पीपट थाना पीपट, जनपद छतरपुर, मध्यप्रदेश वर्तमान पता सी 102 सेक्टर 48, थाना सेक्टर 49 नोएडा को सेक्टर 48 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घर से चोरी किये गये जेवरात(कीमत लगभग 30 लाख रूपये), चोरी की गई सियाज कार व स्कूटी व कागजात बरामद हुए है।

दिनांक 02/05/2021 को वादी श्री रामू थापे ने थाना सेक्टर 49 नोएडा पर आकर लिखित तहरीर दी थी कि उसके मालिक श्री पीयूष बन्दोपाध्याय जो कि धोखाधडी के केस में दिल्ली जेल में बंद है, ने अपने घर की चाबी व जिम्मेदारी अपने ड्राइवर गयादीन उर्फ गोपाल को दी थी, जिसके द्वारा श्री पीयूष के घर से उनकी सियाज कार व एक स्कूटी तथा घर में रखे कागजात व सोने-चांदी के जेवरात आदि सामान चोरी कर लिया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना सेक्टर 49 नोएडा पर मु0अ0सं0 253/2021 धारा 407 भादवि पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्तों का विवरणः

1. गयादीन उर्फ गोपाल पुत्र बद्री श्रीनिवास निवासी ग्राम ज्यौराहा, थाना बारीगढ, जनपद छतरपुर, मध्यप्रदेश वर्तमान पता किडस कैम्पस स्कूल, डी 132 ए, सेक्टर 47 नोएडा।

2. हीरा पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम पीपट थाना पीपट जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश वर्तमान पता सी 102 सेक्टर 48, थाना सेक्टर 49 नोएडा।

अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 253/2021 धारा 380/381/411 भादवि थाना सेक्टर 49 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1.चोरी के किये गये जेवरात(कीमत लगभग 30 लाख रूपये)

2चोरी की गई कार व स्कूटी व कागजात

5- थाना बिसरख पुलिस द्वारा लोगों को हनीट्रैप मे फसाकर रुपये मागने वाले गिरोह का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09.07.2021 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा लोगों को हनीट्रैप मे फसाकर रुपये मागने वाले गिरोह का वांछित अभियुक्त गुड्डू पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम रानीगंज, थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ वर्तमान पता ए-4,1604 पंचशील कॉलोनी, गौर सिटी-2 थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर को थाना बिसरख क्षेत्र के तिगरी गोल चक्कर से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरणः

गुड्डू पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम रानीगंज, थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ वर्तमान पता ए-4,1604 पंचशील कॉलोनी, गौर सिटी-2 थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 561/2021 धारा 389/342/120 बी भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

#कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं शारदा यूनिवर्सिटी के समन्वय से स्थापित "FAMILY DISPUTE RESOLUTION CLINIC" के 01 वर्ष सफतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष में थाना नॉलेज पार्क पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन

दिनांक 09/07/2021 को थाना नॉलेज पार्क पर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार व डीसीपी महिला सुरक्षा के नेतृत्व में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं शारदा यूनिवर्सिटी के समन्वय से स्थापित Family Dispute Resolution Clinic के 01 वर्ष सफलतापूर्वक होने के उपलक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सेंटर को पिछले साल कोविड-19 संक्रमण की पहली लहर के बाद से संचालित किया गया था। इस सेंटर पर पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा के बढ़ते प्रकरणों के दृष्टिगत घरेलू विवाद, घरेलू हिंसा, लिव इन रिलेशनशिप के विवाद को मध्यस्ता से सुलझाने हेतु रेफर किए जाते है। शारदा यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों एवं पुलिस के स्युंक्त पैनल द्वारा मध्यस्ता की सेवाएं प्रदान की जाती है। इन विशेषज्ञों में मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक व कानून विशेषज्ञ उपस्थित रहते है। पुलिस थानों में दी जाने वाली मध्यस्ता की अपेक्षा इस सेंटर में दी जाने वाली मध्यस्ता ने भारी सफलता हासिल की है और पिछले 01 वर्ष में 188 प्रकरण इस सेंटर में रेफर किए गए, जिनमें से 168 प्रकरणों में सफतापूर्वक मध्यस्ता से कार्यवाही समाप्त की गई है एवं अपनी समस्या लेकर आए दंपति यहां से संतुष्ट होकर वापस चले गए। मात्र 20 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है, इससे सफलता का दर 89.36 प्रतिशत के लगभग निकलता है जोकि महिला थाने में काउंसलिंग की दर लगभग 38 प्रतिशत से बहुत ज्यादा है। इस कार्यक्रम में दौरान पूर्व में सफल रूप से अपने विवाद निपटाने वाले कुछ दंपतियों को भी आमंत्रित किया गया था। Family Dispute Resolution Clinic में सेवाएं देने वाले शारदा यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों व शारदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पुलिस द्वारा भेंट दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अपने संबोधन में वहां काम करने वाली टीम को प्रोत्साहित किया गया।